कार्यालय इन मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, इन विभाग, हरियाणा सरकार,

टूरमाप / फैक्स +91 172 2563988, 2663861, E-mail: effepanchkula@gmail.com

3-2- - 52/ 289

दिनांकः 25-4-20/7

्रास्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), जारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ ।

Diversion of 0.94 ha, of forest land in favour of Executive Engineer, HUDA Division, Karnal for construction of 45 M wide road behind sector 8, Part II and Sector 9 urban estate, under forest division and District Karnal, Haryana.

Online Proposal No. FP/HR/Road/21601/2016

संदर्भः आपका पत्र क्रमांक 9-HRB040/2017-CHA दिनांक 8-3-2017 ।

उपरोक्त विषय पर संदर्भाकित पत्र के बारे में वन मण्डल अधिकारी, करनाल से प्राप्त सूचना निम्नप्रकार से आपको भेजी जाती है :-

- एफ0आर०ए० प्रमाण पत्र की मूल प्रति संलग्न है जो कि पार्ट—ा में एडीशनल डाकूमैन्ट के तहत अपलोड कर दिया गया है ।
- Correct KML file of CA site has been uploaded online at column 13 (i) and 13 (iii) giving Geo-coordinates at all corner points in shape file alongwith hard copy of original digital map signed by DFO is attached.
- Revised KML file and Geo-referenced digital map of the proposed road has been uploaded online at column C (ii) and C (iv) of Part-1 alongwith hard copy of original digital map signed by DFO is attached.
- ऑनलाईन पार्ट—ा में बाधक वृक्षों की संख्या 110 अंकित कर दी गई है ।
- सक्षम प्राधिकारी की अनुमति की प्रति संलग्न है।
- 6. वन मण्डल अधिकारी, करनाल ने सूचित किया है कि प्रयोक्ता एजैन्सी ने प्रस्तावित भूमि बारे अपने कार्यालय के पत्र कमांक 6070 दिनांक 05.04.2017 (प्रति संलग्न) द्वारा अवगत कराया है कि जहाँ पर हुड्डा विभाग का सड़क का निर्माण किया जाना है यह भूमि हुड्डा विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई है तथा रिवैन्यु रिकार्ड में उक्त भूमि का मालिकाना हक हुड्डा विभाग के नाम दर्ज है रिवैन्यु रिकार्ड की प्रति संलग्न है। अतः प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा कोई गैर वन भूमि नहीं दी जानी बनती है।

कृपया प्रस्ताव में स्वीकृति बारे आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्न / उपरोक्त ।



वन संरक्षक एवं नोडल आफिसर (एफ०सी०), कृतेः प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणः, COMPLIAINCE OF THE SCHEDULED TRIBES AND OTHERS TRADITIONAL FOREST DWELLERS (RECOGNITION OF FOREST RIGHTS) ACT, 2006

(CERTIFICATE TO BE GIVEN BY THE CONCERNED DISTRICT COLLECTOR)

TITLE OF THE CASE/PROJECT: Diversion of 0.94 ha of forest land for Construction of 45 Mrs. Wide road behind Sector-8, Part-11 and Sector-9 Urban Estate under Division & Distr. Karnal (Haryana).

As per the report received from Divisional Forest Officer (T), Karnal vide his letter No. 1200 dated 13.2.2017. It is certified that the forest land proposed to be diverted in plantation area which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December, 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and the Census-2011.

24BIT 110 1094/40A

dt 24/3/2017

(Full name and official Seabor the (Astrict Collector)